

बिहार सरकार
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

आदेश

दिनांक 01.10.2015 से 31 मार्च 2016 तक की अवधि के लिए मसालेदार देशी शराब का विनिर्माण कर उसकी आपूर्ति के लिए स्वीकृत अनन्य विशेषाधिकार के ठेका के लिए निर्धारित मसालेदार देशी शराब के आपूर्ति मूल्य के परिपेक्ष्य में राज्य के खुदरा मसालेदार देशी शराब की दुकानों में बिकने वाली क्रमशः 600 एम0एल, 300 एम0 एल0 एवं 200 एम0 एल0 के बोतल में 35.0 यू0 पी0 शक्ति का मसालेदार देशी शराब (कम्पोजिट शराब की दुकान में बिकने वाली मसालेदार देशी शराब सहित) का अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य जो इस कार्यालय के ज्ञापांक-281 दिनांक 20.01.2016 द्वारा निर्गत है, को संशोधित करते हुए MRP की तालिका के अनुसार निर्धारित किया जाता है। TCS जो खुदरा बिक्रेताओं से उनके मुनाफे से वसूला जायगा। उसकी देयता MRP में सम्मिलित नहीं है। खुदरा मसालेदार देशी शराब दुकानों के अनुज्ञाधारी (कम्पोजिट शराब की दूकान में विकने वाली मसालेदार देशी शराब सहित) निर्धारित अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य से अधिक कीमत पर उपभोक्ताओं को मसालेदार देशी शराब की बिक्री नहीं करेंगे।

क्र0	मद	600 एम0 एल0	300 एम0 एल0	200 एम0 एल0
1	2	3	4	5
1	Base Rate	20.20	10.44	7.38
2	Excise Duty @ Rs. 25/L.P.L	9.75	4.875	3.25
	TOTAL	29.95	15.315	10.63
3	Vat 50%	14.975	7.6575	5.315
4	License Fee @Rs.90/- Per LPL	35.10	17.55	11.70
5	Movement Fee @ Rs.13/LPL	5.07	2.535	1.69
	TOTAL	85.095	43.0575	29.335
6	BSBCL Margin 2% On MRP	2.0505	1.0375	0.7069
7	Retailers Margin 15% On MRP	15.3786	7.7815	5.3015
8	TCS (1%)	0.4745	0.2413	0.1731
	TOTAL	102.5241	51.8765	35.3434
9	Prohibition cess	0.4759	0.1235	0.6566
10	MRP	103.0000	52.0000	36.0000

2. यह निर्धारित दर तत्कालीक प्रभाव से 31.03.2016 तक प्रभावी होगा।

(कुंवर जंग बहादुर)
आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक..... 29.01.16

ज्ञापांक 11/मू0नि0-02-01/2015 - 422

प्रतिलिपि:- सभी समाहर्ता/सभी उपायुक्त उत्पाद/सभी सहायक आयुक्त उत्पाद/सभी अधीक्षक उत्पाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक..... 29.01.16

ज्ञापांक 11/मू0नि0-02-01/2015 - 422

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट बिवरेज कॉ0 लि0, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि स्वयं के स्तर से इस संबंध में सर्वसाधारण को आवश्यक जानकारी हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाना सुनिश्चित करेंगे।

आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।